



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-15092020-221726
CG-DL-W-15092020-221726

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 28] नई दिल्ली, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2020, शनिवार/भाद्र 15—भाद्र 21, 1942
No. 28] NEW DELHI, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2020, SATURDAY/BHADRA 15— BHADRA 21, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 129 .— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभागमें पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती नियम, 2002 को अधिक्रांत करते हुए सिवाए उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में पुस्तकालय और सूचना सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, पुस्तकालय और सूचना सहायक भर्ती नियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल.—** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—** उक्त पद की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,-
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह या अनुबंध किया है, या;
(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह या अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार को यह संतुष्टि हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग या व्यक्तियों के संबंध में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुस्तकालय और सूचना सहायक	02* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (₹ 35400-112400)	चयन पद	अधिकतम 30 वर्ष (सरकारी कर्मचारियों के लिए) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष तक की छूट। टिप्पण : आयुसीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पिति जिला और चम्बा जिले का पांगी उप-

					संभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है।
--	--	--	--	--	---

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	भर्ती की पद्धति, क्या यह सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा होगी और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य: (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री; (ii) केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार अथवा स्वायत्त या सांविधिक संगठन या लोक क्षेत्र उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान अथवा शिक्षण संस्थान के तहत पुस्तकालय विज्ञान में दो वर्षों का व्यावसायिक अनुभव। वांछनीय: मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिप्लोमा।	आयु: नहीं शैक्षिक योग्यता: हां।	प्रोन्नत व्यक्तियों और सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर अल्पावधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति; और अल्पावधि अनुबंध सहित प्रतिनियुक्ति द्वारा 50 प्रतिशत ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे प्रवर्ग जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति- वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 में पुस्तकालय लिपिक अथवा जिसने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान अथवा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री सहित समकक्ष ग्रेड में 10 वर्षों की नियमित सेवा की हो तथा पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण:- जहां कनिष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उनकी प्रोन्नति पर	प्रोन्नति 1. निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग 2. निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन), व्यय विभाग 3. निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग डीआर की पुष्टि 1. निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन), आर्थिक कार्य विभाग 2. निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन), व्यय विभाग 3. निदेशक/ उप सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

विचार किया जा रहा है, उनसे वरिष्ठ कार्मिकों की प्रोन्नति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते उनकी अपेक्षित अर्हक अथवा पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा की आधे से अधिक अवधि अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कार्मिकों, जिन्होंने योग्यता अथवा पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण कर ली है, के साथ ही अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति हेतु अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों अथवा लोक क्षेत्र उपक्रमों या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों अथवा विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन अधिकारी:- (क)(i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 5 अथवा समकक्ष पद पर 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो; तथा (ख) जो कॉलम (7) के तहत सीधी भर्ती हेतु प्रस्तावित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: टिप्पण-1: फीडर वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति के प्रत्यक्ष क्रम में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण-2: केंद्र सरकार के समान अथवा अन्य किसी संगठन या विभाग में इस नियुक्ति के तत्काल पूर्व में धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतया तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति की अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने के अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।		
---	--	--

[फा.सं. ए. 12011/6/2019-प्रशा.1ए]

अमित कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 17th July, 2020

G.S.R. 129 .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Library and Information Assistant Recruitment Rules, 2002, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Library and Information Assistant in the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, namely :-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Library and Information Assistant Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications.—No person ,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether Selection Post or Non selection Post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Library and Information Assistant	02* (2020) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service , Group B, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 6 in the Pay Matrix (Rs. 35400-112400)	Selection post	Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,

					Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub- Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
--	--	--	--	--	--

Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute; (ii) two years professional experience in Library under the Central or the State Government or autonomous or statutory organisation or Public Sector Undertaking or university or recognized research or education institution. Desirable : Diploma in Computer Application from a recognised university or institute	Age: No Educational qualification: Yes	Two years for promotees and direct recruits.	50% by promotion failing which deputation including Short Term Contract; and 50% by deputation including Short Term Contract failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion : Library Clerk in level 2 in the pay matrix or equivalent with ten years of regular service in the grade possessing Bachelors Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised university or institute and having successfully completed mandatory training of two weeks in the field of Library and Information Science. Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or	Promotion 1. Director/Deputy Secretary (Administration), Department of Economic Affairs 2. Director/Deputy Secretary (Administration), Department of Expenditure 3. Director/Deputy Secretary (Administration), Department of Revenue Confirmation of DR 1. Director/Deputy Secretary (Administration), Department of Economic Affairs 2. Director/Deputy Secretary (Administration), Department of Expenditure 3. Director/Deputy Secretary (Administration), Department of Revenue	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (ISTC) : Officers under the Central Government/State Government/Union territories or Public Sector Undertakings or autonomous or statutory organisations or universities or recognised research institutions : (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with six years' regular service in posts in level 5 in the pay matrix or equivalent or and (b) possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under Column (7). Note-1 : The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note-2 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.		
--	--	--

[F. No. A.12011/6/2019-Ad.IA]

AMIT KUMAR, Under Secy.

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2020

सा.का.नि. 130 .—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में ज्येष्ठ भौगोलिक सहायक और कनिष्ठ भौगोलिक सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1999 को जहां तक उनका संबंध कनिष्ठ भौगोलिक सहायक पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में कनिष्ठ भौगोलिक सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कनिष्ठ भौगोलिक सहायक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा, शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ भौगोलिक सहायक	68* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29,200-92,300 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण:- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान मुख्य विषय के रूप में हो, स्नातक की	लागू नहीं होता	दो वर्ष	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा

डिग्री धारित करता हो। वांछनीय अर्हताएं: अनुभव: कम्प्यूटर मैपिंग और भौगोलिक सूचना तंत्र में कम से कम छह माह का अनुभव। टिप्पण 1: उपर्युक्त अर्हता न रखने वाले परंतु अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के पाए जाने पर कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
---	--	--	--

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- 1. विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष 2. उप निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ कार्यालय का प्रधान, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. एस एम/02/01/2019]

अनीता धादरा, अवर सचिव

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY**(Department of Science and Technology)**

New Delhi, the 4th September, 2020

G.S.R. 130.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Senior Geographical Assistant and Junior Geographical Assistant (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1999, in so far as it relates to the post of Junior Geographical Assistant, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Geographical Assistant in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Junior Geographical Assistant (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Junior Geographical Assistant	68* (2020) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial	Level-5 in the pay matrix (Rs.29,200-92,300)	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. Relaxable for Government servants up to the age of forty years in case of general candidates and upto the age of forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

					Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.
--	--	--	--	--	--

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential qualification: Bachelor's Degree in Geography or Geology or Applied Geology as core subject from a recognised University. Desirable Qualification: Experience: Minimum six months experience in Computer Mapping and Geographical Information System. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission, for the reasons to be recorded in writing, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable	Two years	100 percent by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: (i) Head of Department or Joint Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation - Chairman; (ii) Deputy Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation - Member; (iii) Senior Administrative Officer/Head of Office, National Atlas & Thematic Mapping Organisation - Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. SM/02/01/2019]

ANITA DHADRA, Under Secy.